

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं.:- 105/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1502

दिनांक:- 12-6-18


आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी होडू व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम पनोणियों का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 49 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणाराम के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1503-1505
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणाराम निवासी पनोणियों का तला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी